

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "ई एंड वी बैंड्स में स्पेक्ट्रम, और माइक्रोवेव एक्सेस (एम.डब्ल्यू.ए) तथा माइक्रोवेव बैकबोन (एम.डब्ल्यू.बी) स्पेक्ट्रम के आवंटन" पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 27 सितंबर, 2023: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा.दू.वि.प्रा) ने आज "ई एंड वी बैंड्स में स्पेक्ट्रम, और माइक्रोवेव एक्सेस (एम.डब्ल्यू.ए) तथा माइक्रोवेव बैकबोन (एम.डब्ल्यू.बी) स्पेक्ट्रम के आवंटन" पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

2. दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी) ने अपने पत्र दिनांक 12.08.2022 के माध्यम से, भा.दू.वि.प्रा अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित भा.दू.वि.प्रा अधिनियम, 1997 के खंड-11(1)(ए) के प्रावधानों के अंतर्गत भा.दू.वि.प्रा से निम्नलिखित पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था:

(क) स्थलीय और/ या उपग्रह आधारित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना हेतु ई बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक परिमाण, स्पेक्ट्रम की मात्रा, आवंटन की अवधि, सेवाओं/ उपयोग का दायरा, स्पेक्ट्रम कैप, भुगतान के नियम, पात्रता की शर्तें, नीलामी की कार्यप्रणाली एवं अन्य संबंधित शर्तें;

(ख) स्थलीय और/ या उपग्रह आधारित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना हेतु वी बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक परिमाण, स्पेक्ट्रम की मात्रा, आवंटन की अवधि, सेवाओं/ उपयोग का दायरा, स्पेक्ट्रम कैप, भुगतान के नियम, पात्रता की शर्तें, नीलामी की कार्यप्रणाली एवं अन्य संबंधित शर्तें;

(ग) ई और वी बैंड का गैर-व्यावसायिक/ कैप्टिव/ पृथक उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम की मात्रा; और आवंटन की कार्यप्रणाली, जहां नीलामी संभव नहीं है और उसका मूल्य;

(घ) आंशिक या पूर्ण वी बैंड में, स्थलीय और/ या उपग्रह आधारित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा नीलामी से प्राप्त स्पेक्ट्रम के उपयोग के समानांतर, लाइसेंस से छूट के आधार पर कम ऊर्जा, आंतरिक, उपभोक्ता-उपकरण-से-उपभोक्ता-उपकरण के उपयोग की अनुमति देने के लिए, तकनीकी मापदंडों सहित, व्यवहार्यता;

- (ड) स्थलीय और/ या उपग्रह आधारित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के साथ-साथ गैर-व्यावसायिक/ कैप्टिव/ पृथक उपयोग के लिए 6/ 7/ 13/ 15/ 18/ 21 गीगाहर्ट्ज बैंड में एम.डब्ल्यू.ए और एम.डब्ल्यू.बी आर.एफ. कैरियर के आवंटन की कार्यप्रणाली, मात्रा और मूल्य निर्धारण पर नवीन सिफारिशें;
- (च) इन आवृत्ति बैंड के लिए, (क) से (ड) के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य सिफारिशें प्रस्तुत करें, जिसमें नवीनतम आई.टी.यू-आर रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में बताई गई नियामक/ तकनीकी आवश्यकताएं भी शामिल हैं।

3. इस संबंध में, "ई एंड वी बैंड्स में स्पेक्ट्रम, और माइक्रोवेव एक्सेस (एम.डब्ल्यू.ए) तथा माइक्रोवेव बैकबोन (एम.डब्ल्यू.बी) स्पेक्ट्रम के आवंटन", पर एक परामर्श पत्र, हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए भा.दू.वि.प्रा. की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। इस परामर्श पत्र में, हितधारकों के विचारार्थ विशिष्ट मुद्दे उठाए गए हैं। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 25 अक्टूबर 2023 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 08 नवंबर 2023 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

4. टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@tra.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भा.दू.वि.प्रा. से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भा.दू.वि.प्रा.